

राजस्थान आवासन मण्डल :: जयपुर

क्रमांक :—प1(1)कार्मिक / निजी.चिकि० / 31 / 2014-15 / 361

दिनांक :— 6/5/14

— कार्यालय—आदेश :—

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड चिकित्सा विनियम 1970 के अन्तर्गत हाउसिंग बोर्ड कार्मिकों की चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार करते हुये निम्नलिखित निजी चिकित्सालयों को मण्डल द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के साथ चिकित्सा उपयोग हेतु मान्यता दी जाती है :—


क्र. सं.	चिकित्सालय का नाम व पता	दूरभाष/मोबाइल नम्बर	मण्डल कार्मिकों को देय छूट
1.	जयपुर आयुर्वेद हॉस्पिटल, “आरोग्य वाटिका”, विलेज वाटिका, सांगानेर, जयपुर। (आयुर्वेद पंचकर्म सुविधा)	0141-2586844	कुल देय बिल पर 10%

उक्त आदेश को माननीय अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है तथा संचालक मण्डल के अनुमोदन की पूर्व अपेक्षा में जारी किया जाता है।

— ६० —
(दिनेश कुमार पंवार)
सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. निजी सचिव—अध्यक्ष / आवासन आयुक्त / मुख्य अभियन्ता—मु. / । / आ. रा०आ०म०, जयपुर।
2. निजी सचिव—सचिव / वि.स० एवं मुख्यलेखाधिकारी, रा०आ०मण्डल, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता— प्रथम / द्वितीय / तृतीय, रा०आ०मण्डल, जयपुर / जोधपुर।
4. निदेशक विधि / अति. मुख्य नगर नियोजक / मुख्य संपदा प्रबंधक / उप सचिव / वरिष्ठ कार्मिक प्रबंधक / संयुक्त निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट) रा०आ०मण्डल, जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त वृत— / आवासीय अभियन्ता, खण्ड— ।
6. समस्त प्रकोष्ठ मुख्यालय राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. लेखाधिकारी (भुगतान / पेंशन) / एसीआर / गोपनीय, प्रकोष्ठ, रा०आ०मण्डल, जयपुर।
8. संबंधित चिकित्सालय—
9. नोटिस बोर्ड / रक्षित पत्रावली।


सचिव